पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05–11–2022

दिनांक 04/05–11–2022 को रात्रि थाना कृष्णानगर 02, थाना विभूतिखण्ड 01, थाना मडियांव 03, थाना पारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना काकोरी– दिनांक 05.11.2022 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री हिमांशु निगम पुत्र श्री मदनलाल निगम निवासी वजीरबाग सहादतगंज थाना वजीरगंज लखनऊ द्वारा थाना काकोरी पर सूचना दी गई कि वादी की बहन तनु निगम उम्र 25 वर्ष की शादी दिनांक 04.03.2017 को अरुण निगम पुत्र पप्पू निगम निवासी मोहल्ला शहतूत तला कस्बा काकोरी थाना काकोरी लखनऊ के साथ हुई थी। वादी के पिता ने हैसियत के अनुसार दान–दहेज दे दिया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद से ही वादी की बहन को कम दहेज लाने के कारण वादी की बहन तनु को उसकी सास, ससुर पप्पू निगम, ननद सुमन व राखी निगम तथा पति अरुण निगम मारपीट करने लगे। जिसकी शिकायत वादी की बहन ने वादी से की तो वादी के पिता समझाने बुझाने हेतु वादी की बहन के ससुराल गए तो वादी की बहन के ससुरालीजन ने कहा कि 02 लाख रूपये और कार जब दोगे तब तुम्हारी बेटी से मिलने देंगे और यह कहकर वादी के पिता को भगा दिया। वादी की बहन ने दिनांक 03.11.2022 को समय करीब रात्रि 9.30 बजे फोन पर बताया कि उसे उपरोक्त लोगों ने मारा पीटा है और उसे आशंका है कि उसके चचिया ससुर अजीत निगम के साथ मिलकर जान से मार देंगे। लगभग समय रात्रि 01.45 बजे अरुण निगम के बहनोई ने फोन कर बताया उसकी बहन तनु ने जहर खा लिया है। वादी जब रात्रि बलरामपुर अस्पताल पहुंचा तो वादी की बहन तनु ने बताया कि उसे अरुण निगम के साथ मिलकर ससुराली जनों ने जबरन जहर खिला दिया है। वादी की बहन की इलाज दौरान की मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0– 414/22 धारा– 498ए/304बी/504/328 भादवि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 बनाम अरुण निगम (पति), पप्पू निगम (ससुर), वादी की बहन की सास, सुमन व राखी निगम (ननद), अजीत निगम (चचिया ससुर) के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**